न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 82 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मगाराम पुत्र श्री लिछमणाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी मूलोणियों की ढाणी (भीमड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.कौशलाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 60 वर्ष

2.खेमाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 55 जाति जाट निवासी मूलोणियों की ढाणी (भीमड़ा) तहसील बायतु बाड़मेर।

3.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 427 / 2008 बअनवान कौशलाराम बनाम मगाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05. 2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री डालूराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कुम्भाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 10.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मूलोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल भीमड़ा तहसील बायतु में खसरा संख्या 707 रकबा 0.16 बीघा गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 708 रकबा 105 बीघा व खसरा संख्या 796 / 708 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 105.18 बीघा की आई हुई थी। उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजी में अपना 1 / 3 हिस्सा विभाजित करने हेतु दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया गया परन्तु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु ने अपनी ओर से निरीक्षक व पटवारी को अधिकृत कर दिया, जो नियम विरूद्ध है न्याय का मत है कि **Delegated Powers cannot be delegated.** अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव हेतु तैयार नक्शा मौके की पैमाईश कर तैयार नहीं किया गया। विभाजन का नक्शा टिन्नेसी नियम (सरकार) के नियम 20 अनुसार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। तहसीलदार स्वयं ने मौका मुआयना नहीं कर अधीनस्थ कार्मिक को अपने अधिकार हस्तांतरण किये तथा विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षर किये है जबकि विभाजन में मामले में तहसीलदार स्वयं को मौका मुआयना करना आवश्य है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से प्रार्थी के कब्जे की ढाणी व टांकली उतरदातागण संख्या 01 व 02 के हिस्से में चली गई तथा विप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ढाणी हटाने के निर्देश दिये व न हटाने पर बलपूर्वक ढाणी बिखेरने की धमकी दी, जिस पर अपीलांट को विभाजन की अपीलाधीन फाईनल डिक्री दिनांक 14.05.2012 त्रुटिपूर्ण प्रतीत हुई और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बायतु ने अपनी ओर से निरीक्षक व पटवारी को अधिकृत कर दिया, जो नियम विरूद्ध है न्याय का मत है कि Delegated Powers cannot be delegated. अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव हेतु तैयार नक्शा मौके की पैमाईश कर तैयार नहीं किया गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 427/2008 बअनवान कौशलाराम बनाम मगाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2012 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

10/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner